फा० संख्या 1(2) ई-III(ए)/74

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1974.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 425-700 रुपये के संशोधित वेतनमान में अराजपत्रित वैज्ञानिक कर्मचारियों - प्रवरण ग्रेड पदों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें।

--

पूर्ति तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 15 के पैराग्राफ 48 का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें उसने द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पृष्ठांकित की है कि जहां अराजपत्रित संवर्ग में वैज्ञानिक कर्मचारियों का उच्चतम ग्रेड 210-425 रु० (संशोधित 425-700 रु०) है वहां 10 प्रतिशत पदों के लिये 325-575 रु० (संशोधित 550-900-रु०) का प्रवरण ग्रेड होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि ऐसे मामलों में, यदि 425-700 रु० के वेतनमान में पदों की संख्या पांच से कम नहीं है तो कम से कम एक पद 550-900 रु० के वेतनमान में प्रवरण ग्रेड का होना चाहिये। यह सिफारिश कुछ अन्य शर्तों के अधीन है, जिनको आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 8 के पैराग्राफ 53 में प्रवरण ग्रेडों के बारे में सामान्य सिफारिशों के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया है।

2. आयोग की उपर्युक्त सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है और अपने अपने सम्बद्ध वित्त के साथ परामर्श से उपयुक्त कार्यवाही के लिये उसको सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाया जाता है। मंत्रालयों को सलाह दी जाती है कि तृतीय वेतन आयोग की उक्त सिफारिश के अनुसरण में प्रवरण ग्रेड पदों के सृजन के लिये कोई प्रस्ताव तैयार करते समय आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 के पैराग्राफ 53 में निहित, प्रवरण ग्रेडों के विनियमन के लिये

(कृ० पृ० उ०)

सामान्य सिद्धान्तों को और प्रवरण ग्रेडों तथा इनसे ठीक ऊपर के तरक्की ग्रेडों में वेतन नियतन के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा जारी किये जानेवाले सामान्य आदेशों को भी ध्यान में रखें ।

अवर सचिव, भारत सरकार.

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों|विभागों को । इत्यादि ।

नियन्त्रक और महा लेखा-परीक्षक का कार्यलय ।

राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों को तथा विभागों को ।

संघ प्रदेश के कार्यालयों को ।।

लोक सभा सचिवालय ।

राज्य सभा सचिवालय ।

संघीय लोक सेवा आयोग ।